



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
फोन-0135-2641119 फ़ैक्स-2641314

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (संसाधन पर्याप्तता की रूपरेखा) विनियम, 2026

पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181 सपटित धारा 61, 66 एवं 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (संसाधन पर्याप्तता की रूपरेखा) विनियम, 2026 जारी किया गया है। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.uk.gov.in में अपलाड किया गया है।

- उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 12.06.2026 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव